

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट
संपदा विभाग

सं.इएम/एस-11/एफ-361/5873

दि. 28.12.2012

परिपत्र

न्यायालयों में लंबित सभी मामलों में मंडल के अधिकारों तथा तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना पोर्ट ट्रस्ट परिसर के सभी पट्टेदारों/किरायेदारों/अधिभोगियों को यह सूचित किया जाता है कि पोर्ट ट्रस्ट परिसर के सभी पट्टेदारों/किरायेदारों के (वर्तमान अस्तित्व के लंबी अवधि के पट्टों को छोड़कर) मामले में क्षतिपूर्ति/किराये में सुधार दि. 1.10.2012 से देय है.

पट्टेदारों/किरायेदारों/अधिभोगियों को सुधारित किराये की दरों/क्षतिपूर्ति की दरें यथा समय सूचित कि जाएंगी.

कृते मुंबई पत्तन का न्यासी मंडल

(संपदा प्रबंधक)
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट